रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 1991/फाल्गुन 6, 1912
No. 75] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 1991/PHALGUNA 6, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 89 (अ) :– महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं.सा.

का.नि. 773 (क) तारीख 11 सितम्बर, 1990 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 11 सितम्बर, 1990 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगें गए थे, जिनके उससे प्रभावित होंने की संभावना थी। और अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां 25 सितम्बर, 1990 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पूर्व जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1990 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

2. महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 की प्रस्तावना में अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—और महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1964 मार्मुगाओं पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1964 , पारादीप पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1967 कलकत्ता पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975 , मुम्बई पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975 मद्रास पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975 तूतीकोरिन पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1979 और नवमंगलौर पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है।"

[फा.सं. पी.आर. 16014/2/89-पी.जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 सा.का.नि. सं. 725 तारीख 13 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उसमें सा.का.नि.सं. 819 (अ) तारीख 28 जुलाई, 1988 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 1991

G.S.R. 89(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 was published. as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963). in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th September, 1990 under the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing), No. G.S.R. 773(E), dated the 11th September, 1990, inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected hereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas, the Gazette copies of the notification were made available to the public on the 25th September, 1990;

And, whereas, no objections or suggestions have been received from the public before the expiry of the pesiod afosesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981, namely :—

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the preamble to the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981, after the words and figures "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act", the following shall be inserted, namely :—

"and in supersession of the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1964, the Mormugao Port Trust (Procedure at

Board Meetings) Rules, 1964 the Paradip Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1967, the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure of Board Meetings) Rules. 1975, the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, the Tuticorin Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1979, and the New Mangalore Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1980 except as respects things done or omitted to be done before such supersession".

[F. No. PR-16014|2|89-PG]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 were published vide G.S.R. No. 725, dated the 15th July, 1981 and subsequently amended vide GSR No. 819 (E) dated 28th July, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991